न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना(नागौर)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 40/2018

1– नाथूराम पुत्र मोहनराम जाति मेघवाल निवासी नारायणपुरा तहसील कुचामन जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1–तहसीलदार कुचामन सिटी, जिला नागौरं राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री इस्लामुदीन अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपीलअन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कुचामन बअनुवान राज0 सरकार जरिये पटवारी हल्का, नारायणपुरा बनाम नाथूराम मु0 नं0 85/17 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट दिनांक 15.06.2018

निर्णय

दिनांक:26.02.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार कुचामन सिटी के प्रकरण सं0 85/2017 बअनुवान सरकार बनाम नाथूराम में पारित निर्णय दिनांक 15.6.2018 के विरूद्ध पेश किया है।

{2} मामलें के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नारायणपुरा ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्धन्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम नारायणपरा के खसरा नम्बर 196कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गौचरभूमि में से रकबा 0.02 हैक्टर भूमि सम्वत् 2074 में छान, छरड़िया लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिकमण कर रखा है, तथा अतिकमी को अतिकमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अप्रार्थी का नोटिस पुत्र द्वारा तामील होकर प्राप्त हुआ। अधीनस्थ न्यायालंय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा नारायणपुरा के खसरा नम्बर 196 रकबा 0.02 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 गौचर भूमि पर अतिकमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिकमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिकमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिकमी माना जाकर मौजा नारायणपुरा के खसरा नम्बर 196 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन गौचर से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, तथा संवत 2074 की वार्षिक लगान दर 0.12 रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये 06/– अक्षरे छः रूपये कायम किया गया। अप्रार्थी से जुर्माना वसुली हेतु पटवारी हल्का भौतिक रूप से बेदखली हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक एवं मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी करने बाबत आदेश दिए गए।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 23.07.18 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 23.07.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2018/219 दिनांक 04.02.2021 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

{3} –वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि:–

{3}(1)–यह है अधीनस्थ न्यायालय ने आलौच्य आदेश अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की हैं, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना (नागौर)

{3}(2) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के विपरीत निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है।, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य हैं।

{3}(3) – यह है कि यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना करते हुए निर्णय अधीन अपील पारित करने में घोर त्रुटि की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/अप्रार्थी को साक्ष्य सबुत पेश करने अवसर भी नहीं दिया और न ही पटवारी हल्का के बयान कलमवद्ध किये है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(5) –यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये वगैर व अपीलार्थी का जवाब व साक्ष्य लिये वगैर तथा हल्का पटवारी का भी साक्ष्य लिये वगैर किया गया है इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(6) –यह है कि अपीलार्थी ने खसरा नम्बर 196 कुल रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 गौचर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। हल्का पटवारी ने अपीलार्थी की जिस भूमि को अतिक्रमी माना है, उस भूमि पर अपीलार्थीउस भूमि पर अपीलार्थी का छान–छप्पर एवम भूखण्ड के चारों और कच्ची बाड़ अपीलार्थी के पिता मोहनराम के समय से ही लगभग 50 वर्षो से बनी है। अपीलार्थी द्वारा कोई भी अतिक्रमण नही किया गया हैं। अपीलार्थी अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है एवम अपने पशु भी यही पर रखता हैं। अपीलार्थी का किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं हैं। अपीलार्थी अपने अधिकारों से उक्त भूमि पर छान–छप्पर बनाकर निवास कर रहा हैं। यदि अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार अपीलार्थी को उक्त भूमि में स्थित रहवासी छान छप्परे से बेदखल कर दिया जाता है, तो अपीलार्थी बेघर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

हो जावेगा तथा दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो जावेगा, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर न कर आदेश पारित किया जो अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{4} – बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन किया व मनन किया गया। पटवारी हल्का नारायणपुरा की रिपोर्ट, जिसकी जॉच भू0अ0निरीक्षक द्वारा की गयी, जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा ग्राम नारायणपुरा, के खसरा नम्बर 196कुल 0.56 हैक्टेयर मे से रकबा 0.02हैक्टेयर किस्म गौचर पर सवंत 2074 सेछान, छड़ियॉ लगाकर अतिक्रमण किया हुआ है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अप्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी का अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस तामील के बाद उसके अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब व वकालतनामा पेश किया। अतः यह साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/अप्रार्थी को को समुचित अवसरदेकर निर्णय किया गया है, जो विधि सम्मत है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 गौचर की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया है। उक्त भूमि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि में आती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट/अप्रार्थी ने यह कथन किया है कि उसका मकान काफी सालों से बना है, तो यह भी गलत है कि जिस भूमि पर अप्रार्थी ने मकान बनाया हुआ है वह भूमि गै0मु0 गौचर राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नियमन या आवंटन नहीं किया जा सकता है। गै0मु0गोचर भूमि प्रतिबन्धित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: **आ दे श** ::::

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारीज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.06.2018 यथावत रखा जाता है।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)